राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क–4/2016 जयपुर, दिनांक : 05-12-2017

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में श्री धर्मराज गुर्जर, तहसीलदार के विरूद्ध सीसीए नियम–16 में आरोप पत्र दिनांक 06.07.2015 एवं सीसीए नियम–17 में आरोप पत्र दिनांक 18.12.2015 लम्बित होने के कारण इनका प्रकरण सीलबन्द लिफाफे में रखा गया।

सीसीए नियम–16 में लम्बित आरोप पत्र दिनांक 06.07.2015 में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 01.09.2017 द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

सीसीए नियम–17 में लम्बित आरोप पत्र दिनांक 18.12.2015 में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण जिला कलेक्टर, पाली के आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

फलस्वरूप श्री धर्मराज गुर्जर के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री गुर्जर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री धर्मराज गुर्जर, तहसीलदार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2016–17 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री उम्मेद सिंह के नीचे एवं श्री रामसुख गुर्जर के ऊपर जोड़ा जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, नागौर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. संबंधित अधिकारी।
10. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव